2025/307

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27 / 2025 (राजसमन्द आर्डर)

मोहन सिंह पिता लक्ष्मणदान जाति चारण निवासी डिंगरोल, तहसील सरदारगढ, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. मांगु सिंह पिता गुलाब सिंह जाति राजपुत निवासी डिंगरोल, तहसील सरदारगढ, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारगढ, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेट
दिनांक 16.07.2025 प्र.सं. 6 / 24

––––::––––

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री गिरिश पुरोहित अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

––––::––––

निर्णय **दिनांक 28–01–2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डिंगरोल पटवार हल्का दोवडा तहसील आमेट हाल तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द में प्रार्थी की कृषि खातेदारी भूमि जिसके खाता संख्या नया 247 व पुराना 237 के आराजी नम्बर 209, 210, 215, 216 कुल किता 04 कुल रकबा 1.6050 हैक्टेयर है। विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त कृषि खातेदारी भूमि जिसके खाता संख्या नया 355 [illegible] जिसके आराजी नम्बर 146, 147, 159, 160, 206, 207, 208, [illegible] 317, 634, 635 कुल किता 12 कुल रकबा 3.6884 हैक्टेयर भूमि स्थित हे। उक्त वर्णित विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 206, 207, 208, 211 व 214 में से प्रार्थी की कृषि आराजियात पर पहुंचने के लिये कोई रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:37 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज नहीं है। प्रार्थी की कृषि आराजियात पर पहुंचने का यही एक मात्र रास्ता होकर कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग स्थित नहीं है, जिससे वह अपनी भूमि पर हल, बैल नहीं ले जा पा रहा है। रास्ते की अनुपलब्धता के कारण प्रार्थी की भूमियां उझड पडी है। अतः प्रार्थी को विपक्षी की आराजी नम्बर 206, 207, 208, 211, 214 में से 30 फीट रास्ता दिलाया जावे।

2. विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी की आराजी से कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थी अपनी आराजी पर मुख्य मार्ग से आराजी नम्बर 210 मे होकर आराजी नम्बर 212 से होकर कुंए के पास से होकर आ जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर तहसील सरदारगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 16.07.2025 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास आराजी नम्बर 210 से होकर 212 से होते हुए आराजी नम्बर 216 से आ जा रहे थे। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी उनके द्वारा नये रास्ते की मांग की गई है, जो उचित नहीं है। प्रार्थी अपनी सुविधा अनुसार निकटतम रास्ता चाह रहा है, जिसका धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी प्रार्थी की खातेदारी की आरा[illegible]ता दिया जाने का आदेश पारित किया है, जो [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:37 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र

...अधिकारी
उदयपुर (राज.)

आराजी नम्बर 208 में से रास्ता दिया गया है, जो मौका रिपोर्ट अनुसार विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में 2 मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है एंव दोनों मौका रिपोर्टो व उसके साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की आराजी नम्बर 209, 210, 215, 216 में पहुंचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता विपक्षी की आराजी नम्बर 208 में से होना प्रकट होता है। तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि आराजी नम्बर 208 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 215 व 216 में जाने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आराजी नम्बर 208 में से 55 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल रकबा 0.0220 हैक्टेयर रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.07.2025 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

28.1.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:37 IST
Reason: SelfAttested